

उत्तराखण्ड शासन,

आवास अनुमान-2

संख्या— /V-2/60(आ०)15/2016

देहरादून : दिनांक २। दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, बाजपुर की घोषणा से राम्भन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या-4832/9-आ-3-95-6आ०८०-९१, दिनांक ०१-०१-१९९६ को अवक्षित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, बाजपुर को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

२— उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-०४ (१) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, बाजपुर के रूप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर को अप्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

३— उक्त के अतिरिक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण पूर्व में अधिसूचना संख्या-794/V-2-आ०-2016-60(आ०)/2016, दिनांक २६ मई, २०१६ द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के निर्देशानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण के निकटवर्ती क्षेत्र में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-२६, २७ एवं २८ के अन्तर्गत चलानी/ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग की कार्यवाही करेगा तथा उक्त प्रकरणों में प्रथम आपीलीय अधिकारी सम्बन्धित अध्यक्ष/मण्डलायुक्त होंगे।

(आ० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या— /V-2/60(आ०)15/2016— तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिषिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की २५ मुद्रित प्रतियां रासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या— १४५५
/V-2/60(आ०)15/2016— तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १— सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- २— सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ३— मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायूं, पौड़ी/नैनीताल।
- ४— जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
- ५— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- ६— उपाध्यक्ष, सगरत विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी गढवाल।
- ७— सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- ८— अपर जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
- ९— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- १०— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

४६१

२५।१२।१६

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग-2
संख्या—।९५६/ V -2/ 60(आ०)15/ 2016
देहरादून : दिनांक २। दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, किंचना की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या—1098 / ९-आ-३-९२-५०एच / ५७, दिनांक १६-०६-१९९२ को अवक्षित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, किंचना को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


२— उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा—०४ (१) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, किंचना के रूप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

३— उक्त के अतिरिक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण पूर्व में अधिसूचना संख्या—७९४ / V-२-आ०-२०१६-६०(आ०) / २०१६, दिनांक २६ मई, २०१६ द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के निर्देशानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण के निकटवर्ती क्षेत्र में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा—२६, २७ एवं २८ के अन्तर्गत चलानी/धस्तीकरण एवं सीलिंग की कार्यवाही करेगा तथा उक्त प्रकरणों में प्रथम अपीलीय अधिकारी सम्बन्धित अध्यक्ष/मण्डलायुक्त होंगे।

(आ० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव

संख्या—।९५६ / V-२/ 60(आ०)15/ 2016— तददिनांक।


प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की २५ मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या—।९५६ / V-२/ 60(आ०)15/ 2016— तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १— सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- २— सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ३— मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमायूं, पौड़ी / नैनीताल।
- ४— जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
- ५— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- ६— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार / देहरादून / टिहरी गढ़वाल।
- ७— सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून / नैनीताल / गंगोत्री।
- ८— अपर जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
- ९— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- १०— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग-2
संख्या— /V-2/60(आ०)15/2016
देहरादून : दिनांक २१ दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, श्रीनगर की घोषणा संस्थानिधित सरकारी अधिसूचना संख्या-4674/37-3-37-एन०के०वी०/79, दिनांक 22-01-1982 को अवक्षित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, श्रीनगर को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-04 (1) में उल्लिखित रावित का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, श्रीनगर के रूप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या— /V-2/60(आ०)15/2016— तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 25 मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।


आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या— /V-2/60(आ०)15/2016— तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमायूं, पौड़ी / नैनीताल।
- 4— जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
- 5— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 6— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार / देहरादून / टिहरी गढ़वाल।
- 7— सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून / नैनीताल / गंगोत्री।
- 8— अपर जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
- 9— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10— गार्ड फाईल।

आज्ञा से।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या— /V-2/60(आ०)15/2016
देहरादून : दिनांक २ | दिसाबर, 2016

अधिसूचना

- उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा ३ हाँसा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, रामनगर की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिरूपना संख्या—3510 /XXXVII-3-78NKV-81, दिनांक 17-08-1982 को अवक्षित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, रामनगर को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
- 2- उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-04 (1) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, रामनगर के रूप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, नैनीताल के रूप में अपर जिलाधिकारी, नैनीताल के अधिक्षम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के रास्ते में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।
- 3- उक्त के अतिरिक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण पूर्व में अधिसूचना संख्या-794 /V-2-आ०-2016-60(आ०) /2016, दिनांक 26 मई, 2016 द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के निर्देशनसार स्थानीय विकास प्राधिकरण के निकटवर्ती क्षेत्र में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-26, 27 एवं 28 के अन्तर्गत चलानी /घासरीकरण एवं सीलिंग की कार्यवाही करेगा तथा उक्त प्रकरणों में प्रथम अपीलीय अधिकारी सम्बन्धित अध्यक्ष / मण्डलायुक्त होंगे।

(आरो मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव

संख्या— /V-2/60(आ०)15/2016- तददिनांक !
प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, कड़की (हारिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधीय परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 25 मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का काढ़ करें।

आज्ञा सै.
(मुरोद्रु सिंह रावता)
उप सचिव

संख्या— १४५४ /V-2/60(आ०)15/2016- तददिनांक !
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
1- सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2- सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3- मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमाऊँ, पौड़ी / नैनीताल।
4- जिलाधिकारी, नैनीताल।
मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
उपाध्यक्ष, समरत विकास प्राधिकरण, हरिद्वार / देहरादून / इहरी गढ़वाल।
सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून / नैनीताल / नंगोत्री।
अपर जिलाधिकारी, नैनीताल।
9- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10- गाई फाईल।

आज्ञा सै।
(मुरोद्रु सिंह रावता)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग-2
संख्या— /V-2/60(आ०)15/2016
देहरादून : दिनांक २। दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, कौसानी-ल्वेशाल की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या-1887/37-3-67एन०क०वी०/1973, दिनांक ०४-०६-१९७३ को अवक्रमित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, कौसानी-ल्वेशाल को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

२- उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-०४ (१) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, कौसानी-ल्वेशाल के रूप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, बागेश्वर एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

(आ० २० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव

संख्या— /V-2/60(आ०)15/2016— तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिषिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की २५ मुद्रित प्रतियाँ शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या— १४५७ V-2/60(आ०)15/2016— तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- २- राचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ३- मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं, पौड़ी/नैनीताल।
- ४- जिलाधिकारी, बागेश्वर।
- ५- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- ६- उपाध्यक्ष, समरत विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/ठिहरी गढ़वाल।
- ७- सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- ८- अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर।
- ९- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- १०- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,

आवास अनुयान—२

संख्या— /V-2/60(आ)15/2016
देहरादून : दिनांक २ दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा ३ हाँसा प्रदत्त शावितयों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, काशीपुर की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या-३८३०(६)/९-आ०-३-९१.६-आ००५-९१, दिनांक १९-०६-१९९२ को अवक्षित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, काशीपुर को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्थीकृति प्रदान करते हैं।

२— उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-०४(१) में उल्लिखित शोकित का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, काशीपुर के रूप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में सर्वधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बीच के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्णत की जायेगी।

३— उक्त के अतिरिक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण पूर्व में अधिसूचना संख्या-७९४ /V-२-आ०-२०१६-६०(आ) /२०१६, दिनांक २६ मई, २०१६ हाँसा अधिसूचित क्षेत्र में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के निर्देशानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण के निकटवर्ती क्षेत्र में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-२६, २७ एवं २८ के अन्तर्गत चलानी/ घटस्तीकरण एवं सीलिंग की कार्यवाही करेगा तथा उक्त प्रकरणों में प्रथम अपीलीय अधिकारी सम्बन्धित अध्यक्ष / मण्डलायुक्त होंगे।

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव

संख्या— /V-2/60(आ)15/2016— तददिनांक।
प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विद्यायी परिषिक्ष में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की २५ मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का काढ करें।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या— १४६० /V-2/60(आ)15/2016— तददिनांक।
प्रतिलिपि निन्मलिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
१— सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
२— सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
३— मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमाऊँ, पौड़ी / चैनीताल।
४— जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
५— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
६— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार / देहरादून / ठिहरी गढ़वाल।
७— सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून / नैनीताल / गंगोत्री।
८— अपर जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
९— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
१०— गार्ड काईल।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग-2
संख्या— /V-2/80(आ०)15/2016
देहरादून : दिनांक २ | दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, उत्तरकाशी की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या—1828/37-3-89-आ०१०-८८, दिनांक ०९-०५-१९८९ को अवक्षित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, उत्तरकाशी को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

२— उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा—०४ (१) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, उत्तरकाशी के रूप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, उत्तरकाशी एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

(आ० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव

संख्या— /V-2/80(आ०)15/2016— तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की २५ मुद्रित प्रतियां रासन को प्रेषित करने का काष्ट करें।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या— १४६। /V-2/80(आ०)15/2016— तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १— सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- २— सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ३— मण्डलायुक्त, गढवाल / कुमायूं, पौड़ी / नैनीताल।
- ४— जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- ५— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- ६— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार / देहरादून / टिहरी गढवाल।
- ७— सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून / नैनीताल / गंगोत्री।
- ८— अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- ९— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- १०— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग-2
संख्या— /V-2/60(आ०)15/2016
देहरादून : दिनांक २१ दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, रुद्रप्रयाग की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या-1116आ०/श०वि०/2002(1)149(आ)/2002, दिनांक ०५-१२-२००२ को अवक्षित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, रुद्रप्रयाग को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

२— उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-०४ (१) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग के रूप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

(आर० मीनाक्षी सुन्दरस)
सचिव

संख्या— /V-2/60(आ०)15/2016— तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की २५ मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

1862

संख्या— /V-2/60(आ०)15/2016— तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १— सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- २— सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ३— मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमायूं, पौड़ी / नैनीताल।
- ४— जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
- ५— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- ६— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार / देहरादून / टिहरी गढ़वाल।
- ७— सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून / नैनीताल / गंगोत्री।
- ८— अपर जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
- ९— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- १०— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग-2
संख्या— /V-2/60(आ०)15/2016
देहरादून : दिनांक २। दिसम्बर, 2016
अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शवित्तयों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, पौड़ी की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या-360/आ०/श०वि०-2003/पौड़ी/2003, दिनांक 10-11-2003 को अवक्षित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, पौड़ी को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-04 (1) में उल्लिखित शवित्त का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, पौड़ी के रूप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

(आर० भीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव

संख्या— /V-2/60(आ०)15/2016— तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 25 मुद्रित प्रतियाँ रासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या— 1863 /V-2/60(आ०)15/2016— तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड रासन।
- 2— सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड रासन।
- 3— मण्डलायुक्त, गढ़वाल /कुमायूं, पौड़ी /नैनीताल।
- 4— जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
- 5— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 6— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार /देहरादून /ठिहरी गढ़वाल।
- 7— सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून /नैनीताल /गंगोत्री।
- 8— अपर जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
- 9— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग-2
संख्या- /V-2/60(आ०)15/2016
देहरादून : दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, औली की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या-3711/9-आ-3-97-5आर०ए०-95, दिनांक 27-05-1998 को अवक्षित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, औली को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-04 (1) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, औली के रूप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, चमोली एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, चमोली को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायगी।

(आ० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या- /V-2/60(आ०)15/2016- तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिषिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 25 मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कार्य करें।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या- 1864/V-2/60(आ०)15/2016- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमार्य, पौड़ी / नैनीताल।
- 4- जिलाधिकारी, चमोली।
- 5- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 6- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार / देहरादून / टिहरी गढ़वाल।
- 7- सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून / नैनीताल / गंगोत्री।
- 8- अपर जिलाधिकारी, चमोली।
- 9- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुमान-2
संख्या— /V-2/60(आ०)15/2016
देहरादून : दिनांक १ दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास क्षेत्र की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, गोचर की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या-86(6) / ९-आ०-३-९४-९आ०७०-९३, दिनांक १३-०५-१९९४ को अवक्षित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, गोचर को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिरूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

२— उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-०४ (१) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, गोचर के रूप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, चमोली एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, चमोली को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जार्यगी।

(आ० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या— /V-2/60(आ०)15/2016— तददिनांक ।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की २५ मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या— /V-2/60(आ०)15/2016— तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- १— सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- २— सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ३— मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमायूं, पौड़ी / नैनीताल।
- ४— जिलाधिकारी, चमोली।
- ५— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- ६— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार / देहरादून / टिहरी गढ़वाल।
- ७— सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून / नैनीताल / गंगोत्री।
- ८— अपर जिलाधिकारी, चमोली।
- ९— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- १०— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,

आवास अनुमान-2

संख्या— /V-2/60(आ०)15/2016

देहरादून : दिनांक २१ दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, गोपेश्वर की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या-1810/9-आ-3-93-66आ०बी०ओ०-65, दिनांक 27-05-1993 को अवक्षित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, गोपेश्वर को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-04 (1) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, गोपेश्वर के रूप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, चमोली एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, चमोली को अप्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

(आ० भीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या— /V-2/60(आ०)15/2016— तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 25 मुद्रित प्रतियाँ शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या— /V-2/60(आ०)15/2016— तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमायूं, पौड़ी / नैनीताल।
- 4— जिलाधिकारी, चमोली।
- 5— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 6— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार / देहरादून / ठिहरी गढ़वाल।
- 7— सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून / नैनीताल / गंगोत्री।
- 8— अपर जिलाधिकारी, चमोली।
- 9— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10— गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुमान-२
संख्या— /V-2/60(आ०)15/2016
देहरादून : दिनांक २। दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, बद्रीनाथ की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या—वी०आई०पी०१३८/९—आ०-३-९७-१२आ०वी०००-६५, दिनांक २५-११-१९९७ को अवक्षित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, बद्रीनाथ को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

२— उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-०४ (१) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, बद्रीनाथ के रूप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, चमोली एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, चमोली को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

(आ० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या— /V-2/60(आ०)15/2016— तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिषिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की २५ मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या— १४६७ /V-2/60(आ०)15/2016— तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १— सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- २— सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ३— मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमायूं, पौड़ी / नैनीताल।
- ४— जिलाधिकारी, चमोली।
- ५— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- ६— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार / देहरादून / ठिहरी गढ़वाल।
- ७— सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून / नैनीताल / गंगोत्री।
- ८— अपर जिलाधिकारी, चमोली।
- ९— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- १०— गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग-2
संख्या— /V-2/60(आ०)15/2016
देहरादून : दिनांक २। दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शवितयों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, पिथौरागढ़ की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या-279/9-आ०-३-९५-५०(१२)एच/६०, दिनांक ०५-०४-१९९५ को अवक्षित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, पिथौरागढ़ को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

२— उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-०४ (१) में उल्लिखित शवित का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, पिथौरागढ़ के रूप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

(आ० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या— /V-2/60(आ०)15/2016— तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की २५ मुद्रित प्रतियां रासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या— १४६८ /V-2/60(आ०)15/2016— तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १— सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- २— सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ३— मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमाऊं, पौड़ी / नैनीताल।
- ४— जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
- ५— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- ६— उपाध्यक्ष, समर्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार / देहरादून / टिहरी गढ़वाल।
- ७— सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून / नैनीताल / गंगोत्री।
- ८— अपर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
- ९— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- १०— गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग-2
संख्या— /V-2/60(आ०)15/2016
देहरादून : दिनांक 2। दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, बागेश्वर की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या-2771/V-आ०-05-149(आ०)/2002, दिनांक 26-09-2005 को अवक्रमित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, बागेश्वर को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-04 (1) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, बागेश्वर के रूप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, बागेश्वर एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

(आ० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव

संख्या— /V-2/60(आ०)15/2016— तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 25 मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या— 1869 V-2/60(आ०)15/2016— तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं, पौड़ी/नैनीताल।
- 4— जिलाधिकारी, बागेश्वर।
- 5— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 6— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
- 7— सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- 8— अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर।
- 9— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुमान-2
संख्या— /V-2/ 60(आ०)15/ 2016
देहरादून : दिनांक २, दिसम्बर, 2016
अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र रुद्रपुर की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या-3177/V/आ०-2006-179(आ०)/०६, दिनांक 15-11-2006 को अवक्षित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, रुद्रपुर को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिरूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-04(1) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, रुद्रपुर के रूप में अधिरूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

3— उक्त के अतिरिक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण पूर्व में अधिसूचना संख्या-794/V-2-आ०-2016-60(आ०)/2016, दिनांक 26 मई, 2016 द्वारा अधिरूचित क्षेत्र में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के निर्देशानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण के निकटवर्ती क्षेत्र में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-26, 27 एवं 28 के अन्तर्गत चलानी/ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग की कार्यवाही करेगा तथा उक्त प्रकरणों में प्रथम अपीलीय अधिकारी सम्बन्धित अध्यक्ष/मण्डलायुक्त होंगे।

(आ० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव

संख्या— /V-2/ 60(आ०)15/ 2016— तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 25 मुद्रित प्रतियाँ शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या— १८७९ V -2/ 60(आ०)15/ 2016— तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं, पौड़ी/नैनीताल।
- 4— जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
- 5— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 6— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/ठिहरी गढ़वाल।
- 7— सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- 8— अपर जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
- 9— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग-2
संख्या— /V-2/60(आ०)15/2016
देहरादून : दिनांक २। दिसम्बर, 2016
अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, चम्पावत की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या-1306/V-आ०-2009-365(आ०)/05, दिनांक ०१-०१-२०१० को अवक्रमित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, चम्पावत को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

२— उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-०४(१) में उल्लिखित राक्षित का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत के रूप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, चम्पावत एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, चम्पावत को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

(आ० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव

संख्या— /V-2/60(आ०)15/2016— तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की २५ मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या— ४७ /V-2/60(आ०)15/2016— तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १— सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- २— सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ३— मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं, पौड़ी/नैनीताल।
- ४— जिलाधिकारी, चम्पावत।
- ५— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- ६— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/ठिहरी गढ़वाल।
- ७— सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- ८— अपर जिलाधिकारी, चम्पावत।
- ९— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- १०— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग-2
संख्या— /V-2/60(आ०)15/2016
देहरादून : दिनांक २। दिसम्बर, 2016
अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, हल्द्वानी-काठगोदाम की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या-359/आ०/श०वि०-2003/ह०का०/2003, दिनांक 10-11-2003 को अवक्षित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, हल्द्वानी-काठगोदाम को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-04 (1) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, हल्द्वानी-काठगोदाम के रूप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, नैनीताल एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, नैनीताल को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

3— उक्त के अतिरिक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण पूर्व में अधिसूचना संख्या-794/V-2-आ०-2016-60(आ०)/2016, दिनांक 26 मई, 2016 द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के निर्देशानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण के निकटर्ती क्षेत्र में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-26, 27 एवं 28 के अन्तर्गत चलानी/धस्तीकरण एवं सीलिंग की कार्यवाही करेगा तथा उक्त प्रकरणों में प्रथम अपीलीय अधिकारी सम्बन्धित अध्यक्ष/मण्डलायुक्त होंगे।

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)

सचिव

संख्या— /V-2/60(आ०)15/2016— तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिषिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 25 मुद्रित प्रतियां रासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)

उप सचिव

संख्या-1872/V-2/60(आ०)15/2016— तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड रासन।
- 2— सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड रासन।
- 3— मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमार्य, पौड़ी/नैनीताल।
- 4— जिलाधिकारी, नैनीताल।
- 5— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 6— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
- 7— सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- 8— अपर जिलाधिकारी, नैनीताल।
- 9— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)

उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुमान-2
संख्या- ३५८/२/६०(आ०)१५/२०१७
देहरादून : दिनांक ०३ जनवरी, २०१७

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, गैरसैण की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या-६३/V-१/३३(आ०)२०१३, दिनांक २७-०१-२०१५ को अवक्षित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, गैरसैण को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

२- उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-०४ (१) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, गैरसैण के रूप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, चमोली एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, चमोली को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायगी।

(आ० मीनाक्षी सुन्दरम्)।

सचिव

संख्या- ३५(१)
/V-२/६०(आ०)१५/२०१७- तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिषिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की २५ मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(सुरेन्द्र सिंह रावत)

उप सचिव

संख्या- ३५(२)
/V-२/६०(आ०)१५/२०१७- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- २- सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ३- मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमायूं, पौड़ी / नैनीताल।
- ४- जिलाधिकारी, चमोली।
- ५- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- ६- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार / देहरादून / ठिहरी गढ़वाल।
- ७- सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून / नैनीताल / गंगोत्री।
- ८- अपर जिलाधिकारी, चमोली।
- ९- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- १०- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सुरेन्द्र सिंह रावत)

उप सचिव